भारत सरका / **GOVERNMENT OF INDIA** वित्त मंत्रालय / **MINISTRY OF FINANCE** राजस्व विभा / **DEPARTMENT OF REVENUE**		दूरभाष/ **Telephone: 044-2833101** NATION TAX MARKET फैक्स / **Fax : 044-28331015**

OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF GST & CENTRAL EXCISE, TAMILNADU AND PUDUCHERRY ZONE,
26/1, MAHATMA GANDHI ROAD, NUNGAMBAKKAM, CHENNAI - 600 034.

C.No.II/31/04/2021-CCA.Estt. Dated: 22.10.2021

नियुक्ति प्रस्ताव /OFFER OF APPOINTMENT

विषय: स्था. - वस्तु एवं सेवा कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षक के पद हेतु भर्ती - कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर अभ्यर्थियों का आबंटन।

Sub: Estt. - Recruitment to the post of Inspector of GST & Central Excise Allocation of candidates on the basis of result of the Combined Graduate Level Examination, 2018, conducted by SSC - Reg.

* * *

संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रायोजित तथा बोर्ड के पत्र F.No.A.12034/SSC/02/2018-Ad.III (B) दिनांक 15.09.2021 द्वारा निरीक्षक के पद पर वस्तु एवं सेवा कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तमिल नाडु एवं पुदुच्चेरी अंचल में आबंटित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को एन्ट्री पे रु. 44,900/- (7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स लेवल 7, इंडेक्स 1) प्लस समय-समय पर स्वीकार्य भत्ते में निरीक्षक (वस्तु एवं सेवा कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) के पद के लिए नियुक्ति प्रस्ताव दिया जाता है और निम्नलिखित चेन्नई सेवर्ग नियंत्रण अंचल के वस्तु एवं सेवा कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आयुक्तलायों में नीचे दर्शाए गए अनुसार नामित / तैनात किया जाता है ।

The following candidates, sponsored by the Staff Selection Commission on the basis of result of Combined Graduate Level Examination, 2018 and allocated to the Tamil Nadu & Puducherry Zone for the post of Inspector of GST & Central Excise vide Board's letter F.No.A.12034/SSC/02/2018-Ad.III (B) dated 15.09.2021 are offered appointment to the post of Inspector (GST & Central Excise) in the entry pay of Rs. 44,900 /-(Index 1, Level 7 in pay matrix of 7th Pay Commission) plus allowances admissible from time to time and are nominated / posted to the following Commissionerates in GST & Central Excise of Chennai Cadre Control Zone as indicated below:-

Sl. No.	RANK NO. SL/III	NAME (S/Shri/ Smt.)	D.O.B.	CATE GORY	POSTED TO
1	1286	TEJOMURTHULA UDAY SHANKAR	09.10.1990	UR	Chennai South
2	1506	DEVA REDDY KARTHIK	12.04.1996	UR	Chennai North
3	1623	ATUL SHARMA	17.02.1993	UR	Chennai South
4	2005	SENTHIL MURUGESH B K	13.10.1993	UR	Chennai Outer
5	2151	G PADMA PRIYA	22.10.1995	UR	Chennai North

6	2209	VISHNU K	26.02.1994	OBC	Puducherry
7	2393	RAVULA GOURI SHANKAR	08.09.1993	OBC	Coimbatore
8	3045	R VISHNU PRIYA	21.08.1993	OBC	Chennai Outer
9	3568	SARGADAM SAI PRASANNA KUMAR	31.01.1993	OBC	Puducherry
10	3594	DONEPUDI ANILKISHAN	21.01.1993	OBC	Chennai North
11	3710	STEPHEN P	09.03.1993	OBC	Madurai
12	3795	RANJITH KUMAR J	16.09.1994	OBC	Madurai
13	4045	PADMA PAVAN KUMAR	15.01.1993	OBC	Chennai Outer
14	7197	DHILIPAN S K	08.11.1996	SC	Salem
15	7801	GUNASEELAN V	21.08.1994	SC	Chennai South
16	7807	DASARI PRADEEP	23.08.1991	SC	Coimbatore
17	7916	BODDU ANAND GNANA SAMPATH	06.08.1996	SC	Madurai
18	8245	THANGLUNMANG HAOKIP	17.12.1996	ST	Chennai North
19	8635	BUKKE SIVA KRISHNA NAIK	20.06.1990	ST	Coimbatore

2. अभ्यर्थियों को वस्तु और सेवा कर व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, चेन्नै संवर्ग नियंत्रण अंचल के जिस आयुक्त कार्यालय में रिपोर्ट करना है, उस आयुक्त कार्यालय का पता संदर्भ हेतु संलग्न है ।

The address of the Commissionerates of the GST & Central Excise, Chennai Cadre Control Zone where the candidates have to report is enclosed for reference.

3. उपरोक्त नियुक्ति पूर्णत: अस्थायी आधार पर है तथा आगे के आदेश तक है ।
The above appointment will be purely on a temporary basis and until further orders.

4. यह नियुक्ति आदेश निम्नलिखित शर्तों है ।
This appointment order is subject to following conditions.

5. केंद्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 के अनुसार उनकी सेवाएँ, किसी एक की ओर से एक महीने की नोटिस पर, बिना कोई कारण बताएँ, समापनीय होंगी । तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी को यह अधिकार है कि उन्हें नाटिस की अवधि के लिए अथवा उस अवधि के असमाप्त हिस्से के लिए वेतन और भत्ते के बराबर की राशि का भुगतान करके उनकी सेवाओं को वह तत्काल समाप्त करें अथवा नोटिस की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले समाप्त करें ।

Their services will be terminable on one month's notice from either side in accordance with the Central Civil Service (Temporary Service) Rules, 1965, without assigning any reasons. The Appointing Authority, however, reserves the right of terminating their services forthwith or before the expiration of the stipulated period of notice by making payment to them of a sum equivalent to the pay and allowances for the period of notice or the unexpired portion thereof.

6. वे नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे । सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर इस अवधि को बढाया जा सकता है । परिवीक्षा-काल को संतोषजनक रूप से पूरा करने पर, उपरोक्त पद में उनके स्थायीकरण पर विचार किया जाएगा ।

They will be on probation for two years from the date of appointment, the period of which may be extended at the discretion of the Competent Authority. On completion of the probation period satisfactorily, they will be considered for confirmation in the said post.

7. अभ्यर्थियों को निर्धारित वर्दी पहनना होगा तथा वर्दी-धारी कर्मचारियों से प्रत्याशित अनुशासन को बनाया रखना होगा । आधिकारिक रूप से आयोजित न किए जाने वाले या अनुशासनहीन माने जाने वाले किसी प्रकार के कार्यकलापों में उन्हें भाग नहीं लेना चाहिए ।

The candidates shall equip themselves with prescribed Uniform and will be subjected to usual discipline that is expected of those in Uniform. They shall not indulge in activities not officially organized or in any manner considered as indiscipline.

8. अभ्यर्थियों को दो वर्षों के अंदर निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा, ऐसा न करने पर वे आगे वेतनवृद्धियों का आहरण करने के पात्र नहीं होंगे तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षक की ग्रेड में स्थायी रूप से उनके प्रतिधारण के संबंध में भी विचार नहीं किया जाएगा ।

The candidates should pass the prescribed Departmental Examination within two years, failing which they will not be eligible to draw further increments and will not be considered for permanent retention in the grade of Inspector of Central Excise.

9. छुट्टी, यात्रा भत्ते तथा सेवा-शर्तों से संबंधित सभी अन्य मामलों के संबंध में, वे लोक-सेवा की जिस शाखा के हैं, उसके लिए अनुप्रयोज्य तथा समय-समय पर लागू नियमों तथा आदेशों द्वारा नियंत्रित रहेंगे ।

With regard to Leave, Travelling Allowances and all other matters connected with service conditions, they will be governed by the rules and orders in force from time to time and applicable to the branch of public service to which they may belong.

10. जी एस टी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्रधान मुख्य आयुक्त, चेन्नै के संवर्ग नियंत्रण अधिकार - क्षेत्र के अंदर कहीं भी तथा पदोन्नति पर भारत में कहीं भी उन्हें तैनात और स्थानांतरित किया जा सकता है ।

They will be liable to be posted and transferred anywhere within the Cadre Control jurisdiction of the Principal Chief Commissioner of GST & Central Excise, Chennai and anywhere in India on promotion.

11. यदि वे स्थायी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं या तीन वर्ष की अस्थायी सेवा पूरी नहीं की हैं, तो वे उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ते के हकदार नहीं होंगे ।

They will not be entitled to Travelling Allowance for joining the post unless they are permanent Government servants or have completed three years of temporary service.

12. सरकारी कर्मचारियों तथा अन्यों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा / साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर केन्द्र सरकार के पदों में नियुक्ति के लिए केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा राज्य सरकार के स्थायी / अनंतिम स्थायी कर्मचारी इन नियमों के अनुसार कार्यग्रहण अवधि के हकदार होगें । लेकिन 3 वर्षों की नियमित सेवा पूरा न करने वाले केन्द्र सरकार के अस्थायी कर्मचारी, कार्यग्रहण अवधि के लिए तो हकदार हैं, पर कार्यग्रहण अवधि वेतन के लिए हकदार नहीं हैं ।

For appointment to posts under the Central Government on the results of a competitive examination/ or interview open to Government servants and others, Central Government employees and permanent / provisionally permanent State Government employees will be entitled to joining time under these rules. But temporary employees of the Central Government who have not completed 3 years of regular continuous service entitled to joining time, would not be entitled to joining time pay.

13. कार्यग्रहण करने पर उन्हें भारत के संविधान के प्रति निष्ठा-शपथ लेनी होगी या इस आशय का सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान करना होगा ।

On joining the post, they will be required to take an Oath of Allegiance to the Constitution of India or have to make a solemn affirmation to that effect.

14. अगर वे पहले से नौकरी में हैं तो उन्हें नियोक्ता द्वारा दिए गए कार्यमुक्ति आदेश प्रस्तुत करना होगा ।

If they are already employed, they should produce a relieving order/ discharge certificate from the previous employer.

15. अगर वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के होने का दावा करते हैं, तो निर्धारित प्रपत्र में (यथानिर्धारित गृह मंत्रालय के दिनांक 28.01.1952 के का.ज्ञा.सं. 42/21/49-एन.जी.एस. में यथासंशोधित / कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02.07.1997 का का.ज्ञा. सं. 36033/28/94 में यथाप्रयोज्य), उसमें उल्लिखित किसी न्यायिक / राजस्व प्राधिकारी द्वारा, जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । उन्हें नोट करना होगा कि उनकी नियुक्ति अनंतिम है तथा उचित माध्यम द्वारा जाति / जनजाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्यधीन है । अगर अनुसूचति जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग अथवा नॉन क्रीमी लेयर के होने का दावा गलत पाया जाता है तो उनकी सेवाएं, किसी कारण दिए बिना तथा गलत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत आगे की जाने वाली कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, तत्काल समाप्त कर दी जाएंगी । नियुक्ति के बाद, उनके धर्म का अगर परिवर्तन होता है तो, उसकी सूचना संबंधित नियुक्ति / प्रशासनिक प्राधिकारी को तत्काल देनी चाहिए ।

If they claim to belong to a Scheduled Caste, Scheduled Tribe or Other backward Classes, they have to produce a certificate issued in the prescribed format (as prescribed in M.H.A O.M. No 42/21/49-N.G.S, dated 28.01.1952 as amended / DOPT O.M .No. 36033/28/94-Estt (Res) dated 02.07.1997 as applicable) by any of the Judicial / Revenue Authorities mentioned therein. They should note that their appointment will be provisional and is subject to verification of the Caste / Tribe certificate through proper channels and that if the claim to belong to SC/ST/OBC or not to belong to creamy layer is found to be false, their services will be terminated forthwith without assigning any reason and without prejudice to such further action that may be taken under the Indian Penal Code for production of false certificate. They should also intimate the change, if any, of their religion, after appointment, immediately to the Appointing / Administrative Authorities concerned.

16. भारत सरकार के अधीन सेवाओं में भर्ती के लिए चालू सुसंगत नियमों के अनुसरण में,

In accordance with the relevant rules in force in regard to the recruitment to services under the Government of India,

(क) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित है या जो, एक पत्नी के जीवित होते हुए दूसरा विवाह कर लेता है, हालांकि पत्नी के जीवन-काल में घटित होने के कारण वह विवाह अमान्य हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा बशर्ते कि केन्द्र सरकार किसी व्यक्ति के संबंध में उपर्युक्त नियम के लागू होने से छूट दे सकती हैं, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा आदेश देने के विशेष कारण हैं ।

(a) No person who has more than one wife living or who, having a spouse living, contracts to a second marriage, though such marriage is void by reason of its taking place during the life-time of such spouse, shall be eligible for appointment to service, provided that the Central Government may, if satisfied that there are special grounds for so ordering, exempt any person from the operation of this rule.

(ख) कोई ऐसी स्त्री, जिसकी शादी उसके पति के जीवन-काल में घटित होने के कारण से अमान्य हो या जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पत्नी उक्त विवाह के समय जीवित हो, नियुक्ति के पात्र नहीं होती बशर्ते कि भारत सरकार ने संतुष्ट होकर कि ऐसा आदेश देने के विशेष कारण हैं, उसे छूट दी हो ।

(b) No such woman whose marriage is void by reason of its taking place during the life-time of her spouse or who have married to such a person whose wife is living at the time of marriage shall be eligible for appointment in service unless the Government of India has granted exemption to such a woman in accordance with this rule after being satisfied that there are special grounds for so ordering.

17. अतः यह नियुक्ति प्रस्ताव सशर्त है कि उम्मीदवार उपर्युक्त अपेक्षाओं को पूरा करें तथा अपने उत्तर के साथ, इस पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में घोषणा दें। अगर वे उपर्युक्त शर्त को पूरा नहीं करते तथा किसी कारणवश उपर्युक्त नियमों से छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें तत्काल इस आशय का अभ्यावेदन देना चाहिए। ऐसे मामले में यह नियुक्ति प्रस्ताव निरस्त माना जाएं तथा उनके अभ्यावेदन पर विचार करने पर यदि यह निर्णय किया जाता है कि उन्हें निरीक्षक पद के लिए नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जाएं तो आगे की सूचना प्रेषित की जाएगी ।

This offer of appointment is, therefore, conditional upon their satisfying the requirement mentioned and furnishing declaration in the form enclosed to this letter, along with their reply. If, however, they do not fulfil the above condition and they desire to be exempted from the above mentioned rules for any reason, they should make a representation in this behalf immediately. This offer of appointment should, in that case, be treated as cancelled and a further communication will be sent to them in due course, if upon consideration of their representation, it is decided to offer them appointment to the post of Inspector of Central Excise.

18. यदि उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई घोषणा या सूचना गलत पाई जाती है अथवा यदि पाया जाता है कि उम्मीदवार ने विवाह संबंधी किसी सूचना को जानबूझकर दबा लिया है तो वह अपनी सरकारी सेवा से बरखास्तगी तथा सरकार द्वारा आवश्यक माने जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई का भागी होगा ।

If any declaration given or information furnished by them is proved to be false or if they are found to have wilfully suppressed any marital information, they will be liable for removal from service and other action as Government may deem necessary.

19. यह नियुक्ति प्रस्ताव पूर्णतः अस्थायी है तथा संबंधित जिला / पुलिस अधिकारियों से पूर्ववृत सत्यापन रिपोर्ट / संबंधित निर्गामी प्राधिकारियों से जाति प्रमाण पत्र / विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया शैक्षणिक प्रमाण पत्र के सत्यापन इत्यादि की प्राप्ति पर निर्भर है । यदि संबंधित अधिकारियों से कोई प्रतिकूल / नकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त होती है तो, कर्मचारियों की सेवाएं कोई कारण या नेटिस दिए बिना तत्काल समाप्त कर दी जाएंगी ।

This offer of appointment is purely temporary and is subject to receipt of the antecedent verification report from the District/ Police Authorities concerned; Caste certificate from the issuing authority concerned; verification of certificate of education issued by the University. In case any adverse/ negative report is received from the Authorities concerned, the services will be terminated immediately without assigning any reason or notice.

20. उम्मीदवार को निम्नलिखित दस्तावेजों की एक प्रति के साथ नामांकित अंचल आयुक्तालय में दिनांक **12.11.2021** को या उससे पहले रिपोर्ट करनी होगी ।

They shall report for duty at the Office of the nominated Zone / Commissionerate **on or before 12.11.2021** with the following documents:

(i) शैक्षणिक योग्यताओं की मूल/ अनुप्रमाणित प्रति
Original/Attested copies of Educational Qualifications;

(ii) आयु प्रमाण-पत्र की मूल/ अनुप्रमाणित प्रति
Original/Attested copy of Certificate of Age;

(iii) संलग्न प्रपत्र में वैवाहिक स्थिति की घोषणा
Declaration of Marital Status in the form enclosed;

(iv) अ.जा. / .अ.ज.जा / .अ.पि.व .के अभ्यार्थी के मामले में निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र
Caste Certificate in the case of SC/ST/OBC candidate in the prescribed format;

(v) वर्तमान नियोक्ता से कार्यमुक्ति आदेश (यदि लागू हो तो) ।
Relieving order/ Discharge Certificate from the present employer (if applicable).

(vi) Pending Documents (that were not submitted at the time of Document Verification i.e. Character Certificate/ Identity Certificate, etc.)

ऐसा न करने पर यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वयमेव रद्द हो जाएगा ।
failing which this offer of appointment will stand automatically cancelled.

21. नियमित तैनाती से पहले नव नियुक्त निरीक्षकों को संबंधित क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थाओं में अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा ।

The newly appointed Inspectors should undergo the mandatory training in RTIs concerned before they are given a regular posting.

22. उक्त कर्मचारियों के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-। - खंड 1 दिनांक 22.12.2003 में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मात्रालय की अधिसूचना सं 5/7/2003-ईईसीबी व पीआर दिनांक 22.12.2003 के तहत अधिसूचित नई पेंशन योजना लागू होगी । सी.सी.एस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 26 (2) के तहत तकनीकी इस्तीफा देकर उपरोक्त पद में पुनर्नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने वाले स्थायी सरकारी कर्मचारी के लिए यह लागू नहीं होगी।

The candidates will be governed by the New Pension Scheme as notified vide Government of India, Ministry of Finance, Notification no. 5/7/2003-EECB & PR dated 22.12.2003 - published in Gazette of India, Extraordinary, Part I - Section 1, dated 22.12.2003. This will not apply to a permanent Government servant who joins the post on

tendering Technical resignation under Rule 26(2) of CCS (Pension) Rules, 1972 on reappointment to the post.

23. यह आदेश प्रधान मुख्य आयुक्त, वस्तु और सेवा कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी, तमिल नाडु एवं पुदुच्चेरी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

This order is issued with the approval of the Chief Commissioner of GST & Central Excise, Cadre Control Authority, Tamil Nadu and Puducherry.

(T.G. VENKATESAN)
Additional Commissioner

To,
The Individuals

Copy submitted to:
1. The Under Secretary, Ad.III (B), CBEC, Ministry of Finance, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110 066.

Copy to:
1. The Principal Commissioner/Commissioner of GST & Central Excise, Chennai North, Chennai South, Chennai Outer, Puducherry, Coimbatore, Trichy, Salem, Madurai. (***The performance of freshly recruited officers who are on probation period need to be monitored in terms of Board's letter F.No. A-32018/13/2019-Ad.III.A dated 09.10.2020 and DOPT's O.M No. 28020/3/2018-Estt.(C) dated 11.03.2019***)
2. The Chief Accounts Officer, Pr. CCO, Chennai.
3. The Superintendent (Computer Section), Chennai North – **for displaying on official website.**
4. Master file/Spare copy

सेवा की सामान्य शर्तों को दर्शाने वाला संलग्नक
ANNEXURE SHOWING THE GENERAL CONDITIONS OF SERVICE

1. आशुलिपिक ग्रेड I और II के पद पर नियुक्ति अगले आदेश तक अस्थायी है।
The appointment to the post of Stenographer Grade I & II is temporary until further orders.

2. कार्यग्रहण करने हेतु रिपोर्टिंग करने के लिए उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
No travelling allowance will be admissible to the candidates for reporting for duty.

3. अभ्यार्थी को सूचित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण करने के लिए संबंधित कार्यालय प्रमुख के समक्ष उसके रिपोर्ट करने की तिथि को इस विभाग में उसके कार्यभार ग्रहण की तिथि मानी जाएगी ।
The candidate is informed that he/she will be considered to have joined this Department from the date on which he/she reports for duty before the Head of Office concerned.

4. कार्यभार ग्रहण करने के लिए रिपोर्ट करते समय अभ्यार्थी को अपनी शैक्षणिक योग्यता, आयु, समुदाय (यदि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग हो) और अन्य योग्यता, यदि कोई हो तो, के प्रमाण में अपने मूल प्रमाण – पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
The candidate must produce his/her original certificates in proof of his/her academic qualifications, age, community (if SC/ST/OBC) and other qualifications, if any, at the time of reporting for duty.

5. अभ्यर्थी को यह उल्लेख करना होगा कि वह भारत के नागरिक हैं और यदि नहीं हैं तो क्या वह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने (अ) प्रवसन की तिथि पर भारत में स्थायी रूप से बसने के उद्देश्य से पाकिस्तान से प्रवसन किया, (आ) नेपाल या सिक्किम या तिब्बत के नागरिक हैं।
The candidate should state whether he/she is a citizen of India and if not, whether he/she is a person who has migrated from (a) Pakistan with the intention of permanently settling in India on the date of migration (b) a subject of Nepal or Sikkim or Tibet.

6. अभ्यार्थी को भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के तहत पिछले 3 वर्षों के दौरान अपने पिछले रोजगार, यदि कोई हो, की पूरी जानकारी देते हुए एक लिखित बयान देना होगा ।
The candidate must give a statement in writing giving full information of his previous employment, if any, during the last 3 years under the Government of India or under any other State Government.

7. केन्द्र सरकार के छंटे हुए कर्मचारियों या, ऐसा माने जाने वाले कर्मचारियों को इस विभाग में वरिष्ठता के उद्देश्य से अपनी पिछली सेवा की गणना करने की अनुमति नहीं है ।
Retrenched Central Government servants or, those who are treated as such, are not allowed to count their past service for the purpose of seniority in this Department.

8. यदि कोई अभ्यार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने का दावा करता है, तो उसे विशेष रूप से यह उल्लेख करना होगा कि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, या संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 के तहत उल्लिखित जातियों/समुदायों या जनजातियों में से वह किस जाति/ समुदाय या जनजाति के हैं । अभ्यार्थी को निर्धारित प्रपत्र (नमूना संलग्न) में समुदाय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
If a candidate claims to be a member of the SC/ST, he/she should state specifically to which of the castes/communities or tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) order 1950, or under the Constitution (Scheduled Tribes) order 1950, he/she belongs. The candidate should produce a community certificate in the prescribed form (Specimen enclosed).

9. यदि कोई अभ्यार्थी "अन्य पिछड़ा वर्ग" का सदस्य होने का दावा करता है, तो उसे विशेष रूप से यह उल्लेख करना होगा कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों की सूची में उल्लिखित पिछड़े वर्गों / समुदायों, जो मंडल आयोग की रिपोर्ट तथा भारत सरकार, समाज कल्याण मंत्रालय के दिनांक 10.09.93 के संकल्प सं. 12011/68/93-बीसीसी के तहत प्रकाशित राज्य सूचियां दोनों के लिए उभयनिष्ठ हैं, में थे वह कौन से पिछले वर्ग / समुदाय के है । अभ्यार्थी को निर्धारित प्रपत्र में एक समुदाय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा (नमूना संलग्न)।
If a candidate claims to be a member of "Other Backward Classes", he/she should state specifically to which of the Backward Classes/Communities, mentioned in the list of socially and economically Backward communities, which are common to both the reports of the Mandal Commission and the State lists published by Government of

intention to resign. I further agree that without prejudice to the above provisions the appointing authority has the right to take appropriate action against me under Section 23 of the Central Excise Act, 1944, in the event of my refusal to perform or withdraw myself from the duties of my office".

16. परिवीक्षा की अवधि 2 वर्षों की होगी । उक्त अवधि के दौरान अभ्यर्थी के कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं पाए जाते तो परिवीक्षा की अवधि बढ़ा दी जाएगी ।
The period of probation will be 2 years. The period of probation will be extended if his/her work and conduct are not found to be satisfactory during the said period.

17. इस विभाग में नियुक्त किए गए अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय लिखित रूप में अपना मूल निवास स्थान अर्थात गृह नगर की घोषणा करनी होगी ।
Candidates appointed in this Department should declare his/her native place i.e., Home Town in writing at the time of joining duty.

18. इस विभाग में नियुक्त अभ्यार्थी को निर्धारित प्रपत्र में लिखित रूप में एक घोषणा देनी होगी कि क्या वह अविवाहित / विवाहित है; यदि विवाहित है तो क्या उसकी केवल एक ही पत्नी / पति जीवित है आदि ।
Candidates appointed in this department should give in writing a declaration whether he/she is un-married/married; if married whether he/she has only one wife/husband living etc., in the prescribed form.

19. यदि अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित अभ्यर्थी अपना धार्मिक विश्वास बदलते हैं तो नियुक्ति प्राधिकारी को इसकी सूचना देनी होगी ।
Candidates belonging to SC community should inform the appointing authority, if and when they change their religious faith.

20. दिनांक 22.12.2003 को प्रकाशित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I – अनुच्छेद 1 में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, अधिसूचना संख्या 5/7/2003-ई.सी.बी और पी.आर. दिनांक 22.12.2003 के तहत अधिसूचित अनुसार अभ्यर्थी नई पेंशन योजना के दायरे में आएंगे । यह उस स्थायी सरकारी सेवक पर लागू नहीं होगा जिन्होनें सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 26(2) के तहत तकनीकी इस्तीफा देने पर उपरोक्त पद में पुनर्नियुक्त होकर पद ग्रहण किया है।
The candidate will be governed by the New Pension System as notified vide Government of India, Ministry of Finance, Notification No.5/7/2003-ECB & PR dated 22.12.2003 – published in Gazette of India, Extraordinary, Part I – Section 1, dated 22.12.2003. This will not apply to a permanent Government servant who joins the post on tendering Technical resignation under Rule 26(2) of CCS (Pension) Rules, 1972 on reappointment to the post.

Addresses of Commissionerates:

चेन्नई उत्तर / Chennai North

माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रधान आयुक्त कार्यालय
Office of the Prinicpal Commissioner of GST & Central Excise,
26/1, महात्मा गांधी रोड
26/1, Mahatma Gandhi Road,
नुंगम्बाक्कम / Nungambakam,
चेन्नई / Chennai - 600 034.
दूरभाष / Ph: 044-28335055

चेन्नई दक्षिण / Chennai South

माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय
Office of the Commissioner of GST & Central Excise,
692, एम.एच.यू. कांप्लेक्स : अण्णा सालै, नंदनम
692, MHU Complex: Anna Salai, Nandanam
चेन्नई /Chennai - 600 035.
दूरभाष / Ph: 044-24337705, 24338643

चेन्नई आउटर / Chennai Outer

माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय
Office of the Commissioner of GST & Central Excise,
न्यूरी टॉवर्स, सं. 2054 - 1, II एवेन्यू, अण्णा नगर,
Newry Towers, No.2054-1, II Avenue, Anna Nagar,
चेन्नई / Chennai - 600 040
दूरभाष / Ph: 044-2614 2817

पुदुच्चेरी / Puducherry

माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय
Office of the Commissioner of GST & Central Excise,
1, गोवर्ट एवेन्यू (बीच रोड)
1, Goubert Avenue (Beach Road),
पुदुच्चेरी / Puducherry-605 001
दूरभाष / Ph: 0413-2336995, 2331243

कोयंबत्तूर / Coimbatore

माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय
Office of the Commissioner of GST & Central Excise,
6/7, ए.टी.डी. स्ट्रीट, रेस कोर्स रोड,
6/7, A.T.D Street, Race Course Road,
कोयंबत्तूर / Coimbatore - 641 018
दूरभाष / Ph: 0422-2225527.

मदुरै / Madurai

माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय
Office of the Commissioner of GST & Central Excise,
केन्द्रीय राजस्व भवन, बीबीकुलम,
Central Revenue Buildings, Bibikulam,
मदुरै / Madurai - 625002
दूरभाष / Ph: 0452-2644136, 2530792

सेलम / Salem

माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय
Office of the Commissioner of GST & Central Excise,
सं. 1, No.1, फोल्कस कम्पाउण्ड, आनैमेडु
Foulkes Compound, Anaimedu,
सेलम / Salem - 636 001
दूरभाष / Ph: 0427-2296485, 2295148

DECLARATION TO BE OBTAINED FROM NEW ENTRANTS REGARDING THEIR MARITAL STATUS TO GOVERNMENT SERVICE

1. I, Shri/Shrimati/Kumari ....declare as under :-

   * (i) That I am unmarried/a widower/a widow;

   * (ii) That I am married and have only one spouse living;

   * (iii) That I have entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living. Application for grant of exemption is enclosed.

   * (iv) That I have entered into and contracted a marriage with another person during the life-time of my spouse. Application for grant of exemption is enclosed.

2. I solemnly affirm that the above declaration is true and I understand that in the event of the declaration being found to be incorrect after my appointment, I shall be liable to be dismissed from service.

Date............ Signature........................

(*Note : Please delete clause/clauses not applicable)

APPLICATION FOR GRANT OF EXEMPTION
(Vide para 1 (iii)/1 (iv) of Declaration)

To

The ____________________

____

____

Sir,

I request that in view of the reasons stated below, I may be granted exemption from the operation of restriction on the recruitment to service of one having more than one wife living/ a woman who is married to a person already having one wife or more living.

Reasons

Yours faithfully,

Dated..................

Signature.............